भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 989

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

पुराने उर्वरक संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी नीति

989. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बीवीएफसीएल नामरूप में लगी आग के बाद देश में घनी आबादी वाले/पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुराने होते उर्वरक संयंत्रों में सुरक्षा जोखिमों के संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अपनी जीवन अवधि पूरी कर चुके संयंत्रों की तथा अप्रचलित मशीनरी को बदलने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए समान राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने, महत्वपूर्ण मशीनरी की स्वतंत्र वार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाने और नियामक अनुपालन जबावदेही को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) उर्वरक संयंत्रों की लंबित नियत लागत, जो वर्ष 2014 से आज की तिथि तक बकाया है, की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): यूरिया उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा एवं संरक्षा सीधे तौर पर उर्वरक विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। तथापि, सुरक्षित प्रचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एक आदर्श सुरक्षा प्रोटोकॉल जाँच-सूची (Model Safety Protocol Checklist) तैयार की गई है, जिसे समीक्षा एवं निगरानी हेतु यूरिया उत्पादन इकाइयों से प्रतिमाह प्राप्त किया जाता है। इन रिपोर्टों में अमोनिया प्रणाली, जिसमें भंडारण टैंक भी शामिल हैं, का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण; अमोनिया के भंडारण एवं परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन; कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण; तथा आपातकालीन अनुक्रिया योजना (Emergency Response Planning) जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल

किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के अनिवार्य सुरक्षा अंकेक्षण (Safety Audit) संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समय-समय पर बाह्य एजेंसियों के माध्यम से कराए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BVFCL) में हुई अग्नि दुर्घटनाओं के उपरांत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने घटना का आकलन किया तथा स्थापित सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्त्वपूर्ण उपकरणों के निरीक्षण सहित आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक उपाय आरंभ किए।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वर्तमान में असम के नामरूप स्थित केवल एक प्रचालनरत उर्वरक उत्पादन संयंत्र है। बीवीएफसीएल द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार समय-समय पर सुरक्षा अंकेक्षण, महत्त्वपूर्ण उपस्करों का निरीक्षण, निवारक अनुरक्षण तथा वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के पास गैस-आधारित अमोनिया-यूरिया के पाँच संयंत्र हैं, जिनमें पंजाब के नांगल एवं बठिंडा, हरियाणा के पानीपत तथा मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में स्थित दो संयंत्र शामिल हैं। एनएफएल द्वारा परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 (एमएसआईएचसी) के अनुरूप , कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) द्वारा प्रमाणित अंकेक्षक/एजेंसी के माध्यम से अपने सभी विनिर्माण संयंत्रों का प्रतिवर्ष सुरक्षा अंकेक्षण कराया जाता है।

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) के दो उर्वरक उत्पादन संयंत्र हैं जो एक महाराष्ट्र के मुंबई स्थित ट्रॉम्बे में तथा दूसरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के थाल में है। आरसीएफ अपनी सुरक्षा अंकेक्षण समितियों के माध्यम से नियमित आंतरिक अंकेक्षण के अतिरिक्त, प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित बाह्य एजेंसियों से अपने उत्पादन संयंत्रों का सुरक्षा अंकेक्षण भी कराता है। कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरसीएफ ने एक सक्रिय पहल के रूप में प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन (पीएसएम) प्रणाली भी लागू की है।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) के पास तमिलनाडु के चेन्नई स्थित मणली में केवल एक उर्वरक उत्पादन संयंत्र है। एमएफएल द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों तथा स्थापित अनुरक्षण पद्धतियों के अनुरूप समय-समय पर वैधानिक निरीक्षण, निवारक अनुरक्षण तथा महत्त्वपूर्ण उपकरणों का सुरक्षा अंकेक्षण किया जाता है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) केरल के पास कोच्चि स्थित उद्योगमंडल तथा कोचीन डिवीजन में दो उत्पादन संयंत्र है। फैक्ट द्वारा अपनी सुरक्षा अंकेक्षण समिति के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा अंकेक्षण किए जाते हैं तथा प्रत्येक दो वर्ष में प्रतिष्ठित बाह्य एजेंसी से सुरक्षा अंकेक्षण भी कराया जाता है।

एनएफएल (एनएफएल) तथा आरसीएफ (आरसीएफ) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित निवेश संबंधी निर्णयों में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है।

(घ): संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस-III) को दिनांक 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित किया गया। इसके पश्चात संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एमएनपीएस-III) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) द्वारा आँकड़ों का संकलन/विश्लेषण किया जा रहा था। इस दौरान यह पाया गया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दिए गए अनुमोदन में एक अस्पष्टता विद्यमान थी। प्रस्ताव यह था कि ₹2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत अथवा वर्ष 2012-13 के दौरान प्रचलित वास्तविक स्थिर लागत, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाए। दूसरे शब्दों में, किसी भी इकाई को ₹2300 प्रति मीट्रिक टन से अधिक नियत लागत का भुगतान नहीं किया जाना था। परिणामस्वरूप, ₹2300 प्रति मीट्रिक टन, जो न्यूनतम नियत लागत अर्थात फ्लोर के रूप में निर्धारित किया जाना था, वह सभी उर्वरक संयंत्रों के लिए अधिकतम सीमा (सीलिंग) बन गया। यह समस्त भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि ₹2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत का प्रावधान केवल तीन इकाइयों, अर्थात् एनएफएल–विजयपुर-I, आरसीएफ–थाल तथा कृभको–हजीरा, के लिए ही अभिप्रेत था। सरकार, मंत्रियों के समूह तथा उर्वरक विभाग का यह कभी भी आशय नहीं था कि यूरिया उद्योग को पूर्व में प्रदत्त राशि की वसूली की जाए।

तत्पश्चात, अक्टूबर 2018 में उक्त अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के लिए एक टिप्पणी तैयार की गई तथा अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) आयोजित किया गया। तथापि, फरवरी 2019 में यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को मंत्रियों की एक टीम के पास विचारार्थ भेजा जाए। मंत्रियों की टीम ने अगस्त 2019 में अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं।

मंत्रियों की टीम की अनुशंसाओं के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के समक्ष एक टिप्पणी प्रस्तुत की गई। मार्च 2020 में सीसीईए ने इसे अनुमोदित करते हुए ₹2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत संबंधी प्रावधान को निरस्त कर दिया। इसके पश्चात, एफएआई, कृभको–हजीरा तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने उर्वरक विभाग के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 2 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना के अनुसार ₹2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत के प्रावधान को पुनः बहाल किया जाए। इस विषय की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव तथा कार्यकारी निदेशक, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) की अध्यक्षता में सितंबर 2020 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे जनवरी 2021 में पुनर्गठित किया गया, ताकि ₹2300 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत के मुद्दे का परीक्षण किया जा सके।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिसंबर 2022 में, अन्य बातों के साथ, यह अवलोकन किया कि यदि आवश्यक हो तो यूरिया इकाइयों की लागत निर्धारण आदि से संबंधित विषयों को परीक्षण एवं अनुशंसा के लिए वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) के पास भेजा जा सकता है। तदनुसार, न्यूनतम नियत लागत के मुद्दे सहित नियत लागत से संबंधित समस्त विषयों को परीक्षण हेतु मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) के पास भेजा गया। मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) ने व्यय

विभाग (डीओई) के माध्यम से अप्रैल 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके उपरांत, उर्वरक विभाग (डीओएफ), उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) तथा मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) के बीच इस विषय पर कुछ बैठकें आयोजित की गईं। इसके बाद यूरिया इकाइयों के साथ भी बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें कुछ इकाइयों ने मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। वर्तमान में इस रिपोर्ट को विशेषज्ञ समूह द्वारा परीक्षण हेतु नीति आयोग को भेजा गया है।
